"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 818] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर 2019 — अग्रहायण 8, शक 1941

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 (अग्रहायण 8, 1941)

क्रमांक-12757/वि. स./विधान/2019 . — छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 64 के उपबंधों के पालन में छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 23 सन् 2019) जो शुक्रवार, दिनांक 29 नवम्बर, 2019 को पुर:स्थापित हुआ है, को जनसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है.

हस्ता./-
(चन्द्र शेखर गंगराड़े)
प्रमुख सचिव.

छत्तीसगढ़ विधेयक

(क्रमांक 23 सन् 2019)

छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2019

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ. 1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ पंचायत राज (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहलायेगा.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 2 का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994), (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), धारा 2 में, खण्ड (तीस) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"(इकतीस) "नि:शक्त व्यक्ति" से अभिप्रेत है नि:शक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम, 2016 (क्र. 49 सन् 2016) में यथा परिभाषित नि:शक्त व्यक्ति;"

धारा 13 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम में, धारा -13 में, उप-धारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् नि:शक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र एक नि:शक्त व्यक्ति को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिए होगा, जो दो वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगी. ऐसे नामनिर्दिष्ट नि:शक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये."

धारा 22 का संशोधन. 4. मूल अधिनियम में, धारा 22 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् नि:शक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो नि:शक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरूष) को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा. ऐसे नामनिर्दिष्ट नि:शक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये."

धारा 29 का संशोधन. 5. मूल अधिनियम में, धारा 29 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (एक) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु जिस पंचायत में निर्वाचन पश्चात् नि:शक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है, वहां राज्य शासन अथवा उसके द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पंचायत का पदाधिकारी हो सकने के लिए पात्र दो नि:शक्त व्यक्ति (एक महिला तथा एक पुरूष) को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा. ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन, उस पंचायत के शेष कार्यकाल की अवधि के लिये होगा, जो एक वर्ष से अन्यून अवधि की सीमा में होगा. ऐसे नामनिर्दिष्ट नि:शक्त व्यक्ति का, इस अधिनियम की धारा के प्रावधानों के अंतर्गत वही अधिकार/कर्तव्य होंगे, जैसा कि विहित किया जाये."

6. मूल अधिनियम में, धारा 36 में, उप-धारा (1) में, खण्ड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :- धारा 36 का संशोधन.

"(ढ) जो साक्षर नहीं है ;"

7. मूल अधिनियम में, धारा 44 में, धारा 44 का संशोधन.

(एक) उप-धारा (2) में, शब्द "अधिकार होगा" के पश्चात्, पूर्ण विराम चिन्ह "।" के स्थान पर, कोलन चिन्ह ":" प्रतिस्थापित किया जाये;

(दो) उप-धारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-

"परन्तु नामांकित नि:शक्त व्यक्ति का पंचायत के सम्मिलन/कार्यवाहियों में भाग लेने के संबंध में अधिकार ऐसे होंगे, जैसा कि विहित किया जाए, किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा."

8. मूल अधिनियम में, धारा 46 में, उप-धारा (2) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- धारा 46 का संशोधन.

"परन्तु यह और कि नामांकित नि:शक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए."

9. मूल अधिनियम में, धारा 47 में, उप-धारा (4) में, द्वितीय परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :- धारा 47 का संशोधन.

"परन्तु यह और कि नामांकित नि:शक्त व्यक्ति उन समितियों का सदस्य होगा, जो कि विहित की जाए."

उद्देश्य और कारणों का कथन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) के प्रावधानों के अनुसार पंचायतों के निर्वाचित सदस्यों में नि:शक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में, राज्य सरकार या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में नि:शक्त व्यक्ति को विहित रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने हेतु संबंधित संशोधन लाया जा रहा है. इसके साथ ही उक्त अधिनियम की धारा 36 में शैक्षणिक अर्हता में भी संशोधन किया जाना है.

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-ट के साथ-साथ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की धारा 2, 13, 22, 29, 36, 44, 46 एवं 47 में अन्तर्विष्ट शब्दों में अनुरूपता लाने हेतु यह विधेयक प्रस्तावित है.

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

रायपुर,

दिनांक 25 नवम्बर, 2019

टी. एस. सिंहदेव
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
(भारसाधक सदस्य)

उपाबंध

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 (क्र. 1 सन् 1994) की जिन धाराओं में संशोधन प्रस्तावित है, उनका सुसंगत उद्धरण

1. **मूल अधिनियम की धारा 2 का खण्ड -**

"(तीस) "जिला पंचायत" से अभिप्रेत है, धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन स्थापित जिला पंचायत."

2. **मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) -** प्रत्येक ग्राम पंचायत निर्वाचित पंचों तथा सरपंच से मिलकर बनेगी.

3. **मूल अधिनियम की धारा 22 की उपधारा (1) -** प्रत्येक जनपद पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(एक) निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य;

4. **मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) -** प्रत्येक जिला पंचायत निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

(एक) निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य;

5. **मूल अधिनियम की धारा 36 की उपधारा (1) -** कोई व्यक्ति किसी पंचायत का पदधारी होने का पात्र नहीं होगा -

(ढ) जो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मण्डल से -

(एक) पंच पद के लिये, 5वीं परीक्षा, और

(दो) पंच के ऊपर के पदधारी के लिये, 8वीं या समकक्ष परीक्षा, उत्तीर्ण न हो;

परन्तु यह प्रावधान इस संशोधन के प्रवृत्त होने के पूर्व निर्वाचित पदाधिकारियों के विषय में लागू नहीं होगा."

6. **मूल अधिनियम की धारा 44 की उपधारा (2) -**

किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के अन्य सदस्यों को, चाहे वे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गये हों या नहीं, पंचायतों के सम्मिलन में मत देने का अधिकार होगा.

7. **मूल अधिनियम की धारा 46 की उप-धारा (2) -**

परन्तु ग्राम पंचायत आवश्यकतानुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों एवं अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकेगी.

8. **मूल अधिनियम की धारा 47 की उप-धारा (4) -**

परन्तु यह और भी कि शिक्षा समिति के सदस्यों में कम से कम एक महिला तथा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक व्यक्ति होगा.

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव,
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019.